# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

**आवेदक**

राजस्थान राज्य जरिये श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर

बनाम

**अभियुक्त**

1. श्री गोपाल राम कुमावत पुत्र श्री कानाराम,
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक),

फर्मः- मैसर्स श्री खिमज माता दुग्धालय, ग्राम- मोरली, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही
निवासी-101, मुख्य सडक के पास, ग्राम- मोरली, तहसील-शिवगंज, जिला-सिरोही

**प्रकरण संख्याः 01/2018**

**''अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ''**

**उपस्थितिः**

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से

**-: निर्णय :-** **दिनांक 18 जनवरी, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 08.1.2018 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 11.1.2017 को समय 6.00 पी.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स श्री खिमज माता दुग्धालय, ग्राम- मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पॅहुचा व अपना परिचय दिया व पचियत्र दिखाया। फर्म पर विक्रेता की हैसियत से श्री गोपालराम कुमावत पुत्र श्री कानाराम कुमावत, निवासी- 101, मुख्य सडक के पास, ग्राम- मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ मावा (चिनी मिला हुआ) का स्टॉक बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए पाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म में एक डीप फ्रिज 13x20 किलोग्राम कट्टों में (13 कट्टों में) मावा (चिनी मिला हुआ) आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय हेतु था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने से गवाहान की उपस्थित में विक्रेता को इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में भरकर दी। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच हेतु खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है, जो मूल ही संलग्न है। गवाहान के समक्ष विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से राशि रुपये 320/- (अक्षरें रुपये तीन सौ बीस मात्र) नकद देकर मावा (चीनी मिला हुआ) 2 किलो खरीदा एवं रुपयों की खरीद रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है जो मूल ही संलग्न

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज.)

है। विक्रेता एवं गवाहान के सामने खरीदशुदा मावा (चीनी मिला हुआ) 2 किलोग्राम अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक साफ सूखी खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर एक रुप कर चार भागों में बराबर-बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में डालकर प्रत्येक में 40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर अच्छी तरह हिलाया और एयर टाईट बंद किया। इन चारों भागों के लिये चार लेबल तैयार किये। जिस पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक AD-509, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर मैनें, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना पर एक-एक लेबल चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. AD-509 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें व गवाह ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैनें, गवाहों व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना AD-509 सील चपडी किया उसको मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैनें स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की एवं मौके पर मौका फर्द तैयार की तथा मौका फर्द पर स्वयं ने, विक्रेता ने व गवाह ने हस्ताक्षर किये, जो असल संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार कर उन पर खाद्य विश्लेषक का पता अंकित किया गया और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील्ड किया था। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग AD-509 के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफावे में रखकर लिफावे को सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा दिनांक 12.1.2017 को खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्रापत की जो असल संलग्न है तथा नमूनें के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 12.1.2017 को जमा कराये गये। जिनकी प्राप्ति रसीद दोनों अलग अलग असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर के पत्र क्रमांक 149-50 दिनांक 16.2.2017 के साथ संलग्न खाद्य पदार्थ मावा (चिनी मिला हुआ) की जांच रिपोर्ट क्रमांकःएल.एस./25/एक्ट/2017/25 दिनांक 24.1.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) का नमूना AD-509 अमानक स्तर (Sub-standard) का पाया गया। श्री गोपाल कुमावत को पुनः रेफरल लेब से जांच कराने हेतु पत्र क्रमांक 492 दिनांक 20.4.2017 से लिखा गया, जिसका जवाब आज तक अप्राप्त है। प्रकरण से संबंधित असल मूल कागजात

....पेज तीन पर

प्रति. जिला अभिभाषक
सिरोही-307001.

जिला ... सिरोही (राज.)

एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन- जोधपुर को प्रस्तुत कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ मावा (चिनी मिला हुआ) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई दिनांक 15.1.2019 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी द्वारा अपनी फर्म पर मावा (चिनी मिला हुआ) का स्टाक विक्रय करने हेतु अपने कब्जे में रखने का कथन गलत है। उक्त मावा विक्रय हेतु नही था तथा न ही प्रतिवादी मावा आम जनता को विक्रय करने का कार्य करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मावा का नमूना जांच हेतु क्रय करने की प्रक्रिया विधि अनुसार नही अपनाई है। मौका फर्द भी गलत तरीके से बनाई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मावा के सेम्पल को टेम्पर विथ कर जांच हेतु भेजा है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ मावा को सुरक्षित रखने हेतु कोई पदार्थ नही डाला है। आवेदक द्वारा नमूना खोया (फीका मावा) का लिया गया है, जबकि जांच रिपोर्ट मावा (चिनी मिला हुआ) की प्राप्त हुई है, जिससे यह स्पष्ट है कि सेम्पल को टेम्पर विथ किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये सेम्पल की जांच रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक से प्राप्त होने पर प्रतिवादी को धारा 46(4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सेम्पल की रेफरल लेब से दुबारा जांच हेतु कोई सूचना आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नही दी, जिससे सेम्पल की पुनः जांच कराने के अधिकार से प्रतिवादी वंचित रहा है, इसलिये आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह न्याय निर्णयन आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.1.2017 को समय 6.00 पी.एम. पर दौरानें गश्त चैकिंग मैसर्स श्री खिमज माता दुग्धालय, ग्राम- मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म मैसर्स श्री खिमज माता दुग्धालय पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से गोपाल राम कुमावत पुत्र श्री कानाराम कुमावत, निवासी- 101, मुख्य सडक के पास, ग्राम मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जिसने आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

मावा (चिनी मिला हुआ) अपने कब्जे में रखा हुआ था। उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म में खाद्य पदार्थ मावा (चिनी मिला हुआ) 20 किलोग्राम x 13 प्लास्टिक के कट्टों में एक डिप फ्रिज में आम जन के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री राजेन्द्र कुमार सोलंकी पुत्र श्री फुलाराम, जाति- कीर (माली), निवासी- देवली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही एवं श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता गोपाल राम कुमावत को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान व विक्रेता के सामने 2 किलोग्राम मावा (चीनी मिला हुआ) हिला मिलाकर एक मेल कर एक साफ सूखे व खाली स्टील के भगोनें में तुलवाकर खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/- (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) विक्रेता गोपाल राम कुमावत को अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता गोपाल राम कुमावत व उक्त गवाहों तथा आवेदक श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाहों के समक्ष उक्त खरीदशुदा मावा को पुनः एक रुप कर चार भागों में बराबर-बराबर कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शीशीयों में डालकर प्रत्येक नमूनें में 40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वस्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर के कोड एवं कमांक AD-509, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विकेता/खाद्य कारोबारकर्ता गोपाल राम कुमावत एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-50-9 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता गोपाल राम कुमावत व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता गोपाल राम कुमावत, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म श्री खिमज माता दुग्धालय,

....पेज पांच पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सिरोही (राज०)

ग्राम- मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता गोपाल राम कुमावत से खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफावे को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.1.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विशाल सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, दिनांक 12.1.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 के अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) (नमूना संख्या AD-509) की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./25/Act/2017/25 दिनांक 24.1.2017 के अनुसार आवेदक श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री खिमज माता दुग्धालय, ग्राम- मोरली में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता गोपाल राम कुमावत से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि श्री राजेश टिंकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक:एफ.एस.एस.ए./2017/एडी-509/492 दिनांक 20.4.2017 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या:एल.एस./25/ एक्ट/2017/25 दिनांक 24.1.2017 के अनुसार सब स्टेण्डर्ड का पाया गया है व पत्र क्रमांक 149-150 दिनांक 16.2.2017 के द्वारा पूर्व में भी रिपोर्ट भेजी जांच चुकी है, अगर इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही है तो रेफरल लेब से जांच हेतु अपना प्रतिवेदन 30 दिवस में भिजवाये, लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता गोपाल राम कुमावत ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया।

चूंकि प्रकरण में उपर्युक्तानुसार यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी अभियुक्त गोपाल राम कुमावत द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ मावा (चीनी मिला हुआ) का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के

...पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त गोपाल राम कुमावत पुत्र श्री कानाराम कुमावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स श्री खिमज माता दूग्धालय, ग्राम- मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, निवासी- 101, मुख्य सडक के पास, ग्राम- मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी अभियुक्त गोपाल राम कुमावत पुत्र श्री कानाराम कुमावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स श्री खिमज माता दूग्धालय, ग्राम- मोरली, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) 18.01.18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही